बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–17/विविध–01–200/2024 - 178(17) पटना, दिनांक :–07/02/2026

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सक, जो राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण होते हैं, वे स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017 में निहित प्रावधानों के तहत बॉण्ड से आच्छादित होते हैं। इन्हें बॉण्ड की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय चिकित्सीय संस्थानों में पदस्थापन के साथ–साथ विभागीय अनापत्ति प्रदान किये जाने के आलोक में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद पर राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भी पदस्थापित किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को अनिवार्य बॉण्ड अवधि पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सीय संस्थानों में पदस्थापन, संस्थान में स्वीकृत पद के विरूद्ध की जाती है, ताकि वे वेतन पर्ची प्राप्त करते हुए नियमित वेतन प्राप्त कर सकें।

3. दूसरी ओर वैसे चिकित्सक जो राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन वे बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के नियमित चिकित्सक नहीं हैं, उनका पदस्थापन विभागीय पत्रांक–881(1), दिनांक–27.09.2022 द्वारा सृजित फ्लोटिंग पद के विरूद्ध की जाती है। इन्हें नियत मानदेय दिया जाता है।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या–1545(2), दिनांक–18.11.2021 द्वारा निदेशित है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सक जो सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/जूनियर रेजिडेन्ट आदि के टेन्योर पद हेतु अपने मूल पदस्थापन स्थान से विरमित हो गये हैं, वे टेन्योर अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

5. अतः उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता है :–

(i) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सक, जिन्हें क्षेत्रीय चिकित्सीय संस्थानों में स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध बॉण्ड सेवा के अंतर्गत पदस्थापित किया गया है, वे बॉण्ड सेवा अवधि को पूर्ण करने के पश्चात् भी नियमित रूप से उक्त पद पर आगे भी कार्यरत रहेंगे।

(ii) वैसे चिकित्सक, जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के नहीं हैं तथा अनिवार्य बॉण्ड अवधि को पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सीय संस्थानों में फ्लोटिंग पद के विरूद्ध पदस्थापित हैं, वे अनिवार्य बॉण्ड अवधि पूर्ण करने के पश्चात् पद से मुक्त हो जायेंगे।

(iii) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, जो बॉण्ड सेवा अवधि के अंतर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद पर पदस्थापित हैं, वे टेन्योर अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करेंगे।

(iv) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, जो बॉण्ड से आच्छादित हैं एवं जिन्हें उच्चत्तर अध्ययन के लिए/AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद के लिए विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, वे उच्चत्तर अध्ययनोंपरान्त/टेन्योर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करेंगे।

Estt/D/Manjit ji/Aadesh

(v) वैसे चिकित्सक, जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के नियमित चिकित्सक नहीं हैं, किन्तु बॉण्ड से आच्छादित हैं एवं जिन्हें उच्चत्तर अध्ययन के लिए/AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, वे उच्चत्तर अध्ययनोंपरान्त /टेन्योर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में शेष बॉण्ड अवधि पूरी करने हेतु पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करेंगे।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

सं० सं०–17/विविध–01–200/2024–178(17) **पटना, दिनांक :–**07/02 **/2026**

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/2/26

सरकार के विशेष सचिव।

Estt/D/Manjit ji/Aadesh